न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निगरानी 668–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–02–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 295/अपील/04–05

———

1– श्रीमती गौराबाई बेवा कमलसिंह
2– राजाराम पुत्र कमलसिंह
3– तौरनसिंह पुत्र कमलसिंह
4– नारायणीबाई पुत्री कमलसिंह
5– सुशीलाबाई पुत्री कमलसिंह
निवासीगण– ग्राम छीरखेड़ा तह. व जिला विदिशा (म.प्र.)

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– चंदाबाई पत्नी स्व. श्री हरीश कुमार
2– पीकेश पुत्र स्व0 श्री हरीश कुमार
3– लवकेश पुत्र स्व0 श्री हरीश कुमार
4– राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल सभी जाति अग्रवाल निवासीगण– साबरकर बाल विकास के पास विदिशा (म.प्र)

——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता एस0के0 अवस्थी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01–06–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 295/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 8–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 190 एवं 110 के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर विगत 25 वर्ष से काबिज होने तथा 25 वर्ष पूर्व 4000/– प्रतिवर्ष के हिसाब से खेती पर तीन वर्ष के लिए भूमि दी थी तथा उसके बाद वापिसी की कार्यवाही नहीं की गई है अतः वादग्रस्त भूमियों पर नामांतरण किया जाये । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकों का आवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 16–3–05 द्वारा स्वीकार की । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य की सही विवेचना न करते हुए आदेश पारित किये हैं तथा यह मानने में वैधानिक त्रुटि की है कि स्वत्व के निराकरण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है किंतु उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अनावेदकों ने स्वयं स्वत्व घोषणा का वाद पेश किया था जो 1–2–99 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी दिनांक 25.6.03 को निरस्त हो चुकी है । इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई । एस.डी.ओ. के समक्ष उनके द्वारा उक्त दोनों आदेशों की प्रतियां पेश की थीं किंतु उन पर कोई विचार नहीं किया गया अपर आयुक्त न भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण विगत 25–26 सालों से लगातार प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज हैं । उन्होंने अपना विरोधी आधिपत्य स्वीकार किया है ।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.3.15 को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के संबंध में आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी बनाने के संबंध में है दूसरी ओर इसी पक्ष द्वारा भूमि को तेरह हजार रूपये में क्रय करना बता कर

न्यायिक सहायता चाही गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों यह निष्कर्ष उचित है कि यदि भूमि क्रय की गई थी तो विक्रेता के जीवित रहते आधिपत्य एवं नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए था जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है । बाद में कब्जे की कार्यवाही करना यह बताता है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा न होकर भूमिस्वामी के आधिपत्य में भूमि है और इसी कारण संहिता की धारा 190–110 के तहत कब्जे के आधार पर कार्यवाही करना और भूमिस्वामी बनना परस्पर विरोधाभाषी है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर